भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2252

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

अकार्यशील और निष्क्रिय कंपनियों का पंजीकरण रद्द करना

2252. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की संपूर्ण देश में निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार तेलंगाना में कंपनी रजिस्ट्रार के पास कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं;

(ग) ऐसी कितनी कंपनियों को निष्क्रिय माना गया है; और

(घ) तेलंगाना में अकार्यशील और निष्क्रिय कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने के लिए उद्यमियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455(1) के अनुसार, कोई भी कंपनी जो पिछले दो वित्तीय वर्षों (वि.व) के दौरान कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है या जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखा, लेनदेन नहीं किया है या पिछले दो वित्त वर्षों के लिए वित्तीय विवरण (एफएस) और वार्षिक रिटर्न (एआर) दाखिल करने में विफल रही है, उसे निष्क्रिय कंपनी माना जाता है।

अधिनियम की धारा 248(2) के अंतर्गत, यदि कंपनी ने निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं किया है अथवा निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त किए बिना तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष से की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही है तो कंपनी स्वेच्छा से स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन कर सकती है।

मंत्रालय ने 'व्यवसाय करने में आसानी' को सुकर बनाने के लिए फास्ट-ट्रैक मोड में निष्क्रिय कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया को केंद्रीकृत करते हुए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की है। ऐसी सभी निष्क्रिय कंपनियां अब अपनी सभी देनदारियों को समाप्त करने के बाद आरओसी, सी-पेस के पास स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन कर सकती हैं।

30 नवंबर, 2024 की स्थिति को तेलंगाना के रजिस्ट्रार के पास 164,471 पंजीकृत कंपनियां हैं, जिनमें सक्रिय और निष्क्रिय कंपनियां और स्ट्राइक ऑफ, निष्क्रिय आदि प्रक्रिया के तहत परिसमापन के तहत, बंद कंपनियां शामिल हैं। एमसीए21 के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,922 कंपनियों और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 55,329 कंपनियों ने तेलंगाना राज्य में अपना वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट दाखिल नहीं किया है।

लंबित रिटर्न दाखिल करने में ढील देने वाली किसी भी योजना को शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्थायी उपाय के रूप में कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 4(1) में दिनांक 10.05.2023 की अधिसूचना के माध्यम से एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के बाद अतिदेय वित्तीय विवरण और अतिदेय वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा में ढील दी गई है जिसमें कंपनी ने अपने व्यवसाय संचालन को व्यापार करने में सुगमता के आगे के उपाय के रूप में करना बंद कर दिया है।

इसलिए, एक निष्क्रिय कंपनी उस वित्तीय वर्ष के बाद एफएस और एआर दाखिल करने की किसी भी अपेक्षा के बिना स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन फाइल कर सकती है जिसमें उसने किसी भी व्यवसाय को करना बंद कर दिया है। नियमों में यह छूट तेलंगाना की कंपनियों सहित सभी पात्र कंपनियों पर लागू है।

****